राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ, जयपुर

आ दे श

एकलपीठ सिविल प्रथम अपील संख्या–15/2009

आदेश दिनांक **08.08.2019**

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री प्रकाश गुप्ता</u>

श्री सुदेश बंसल, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थी
डॉ. पी.सी.जैन, अधिवक्ता वास्ते प्रत्यर्थीगण

————————

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण ने जाहिर किया कि सिविल प्रथम अपील का निर्णय होने के बाद प्रत्यर्थीगण पत्रावली उनसे ले गये और उन्हें प्रत्यर्थीगण की ओर से कोई निर्देश प्राप्त नहीं हैं।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण के उक्त कथन को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्यर्थीगण को चार सप्ताह की वापसी के नोटिस जारी किए जावें। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस हेतु आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करे।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अन्तरिम प्रार्थना पत्र संख्या 44895 अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10 सपठित आदेश 1 नियम 10 व धारा 151, व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रार्थना पत्र में वर्णित वादग्रस्त सम्पत्ति के पश्चात्वर्ती क्रेताओं को प्रार्थना पत्र के चार सप्ताह की वापसी के नोटिस जारी किए जावे। अपीलार्थी की प्रार्थना पर उसके खर्चे पर उन्हे simultaneously रजिस्टर्ड एडी डाक से भी नोटिस जारी किए जावे। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी इस हेतु आवश्यक कार्यवाही एक सप्ताह में करे।

(न्या. प्रकाश गुप्ता)

एमसीएस
M-35

RAJASTHAN HIGH COURT
सत्यमेव जयते